

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण परियोजना

ग्राम स्तरीय सूक्ष्म कार्ययोजना
ग्राम - पठनपुरवा (सेवदा)
विकासखंड - नेवादा
जनपद - कौशाम्बी
राज्य - उत्तरप्रदेश

सम्पादन

डॉ० रुचि बडोला

डॉ० एस० ए० हुसैन

लेखन एवं रूपरेखा

हेमलता खण्डूड़ी

डाटा संकलन

कृष्णा प्रकाश उपाध्याय, हेमा पंत

टाइप सैटिंग

मानसी बिजल्वाण

डिजाइन

शताक्षि शर्मा

फोटो क्रेडिट

एन०एम०सी०जी टीम

सम्पादकीय पता

भारतीय वन्यजीव संस्थान

पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी

देहरादून - 248001

उत्तराखंड, भारत

टेलिफोन संख्या - 0135 2640114- 15, 2646100

फैक्स नं० - 0135-2640117

ई -मेल - ruchi@wii.gov.in

वर्ष - 2023

सूक्ष्म नियोजन

ग्राम पंचायत	सेवदा
विकासखंड	नेवादा
जनपद	कौशाम्बी
राज्य	उत्तर प्रदेश
कुल बजट	22,65,000.00
क्रियान्वयन अवधि	5 वर्ष



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

2023

विषय - वस्तु

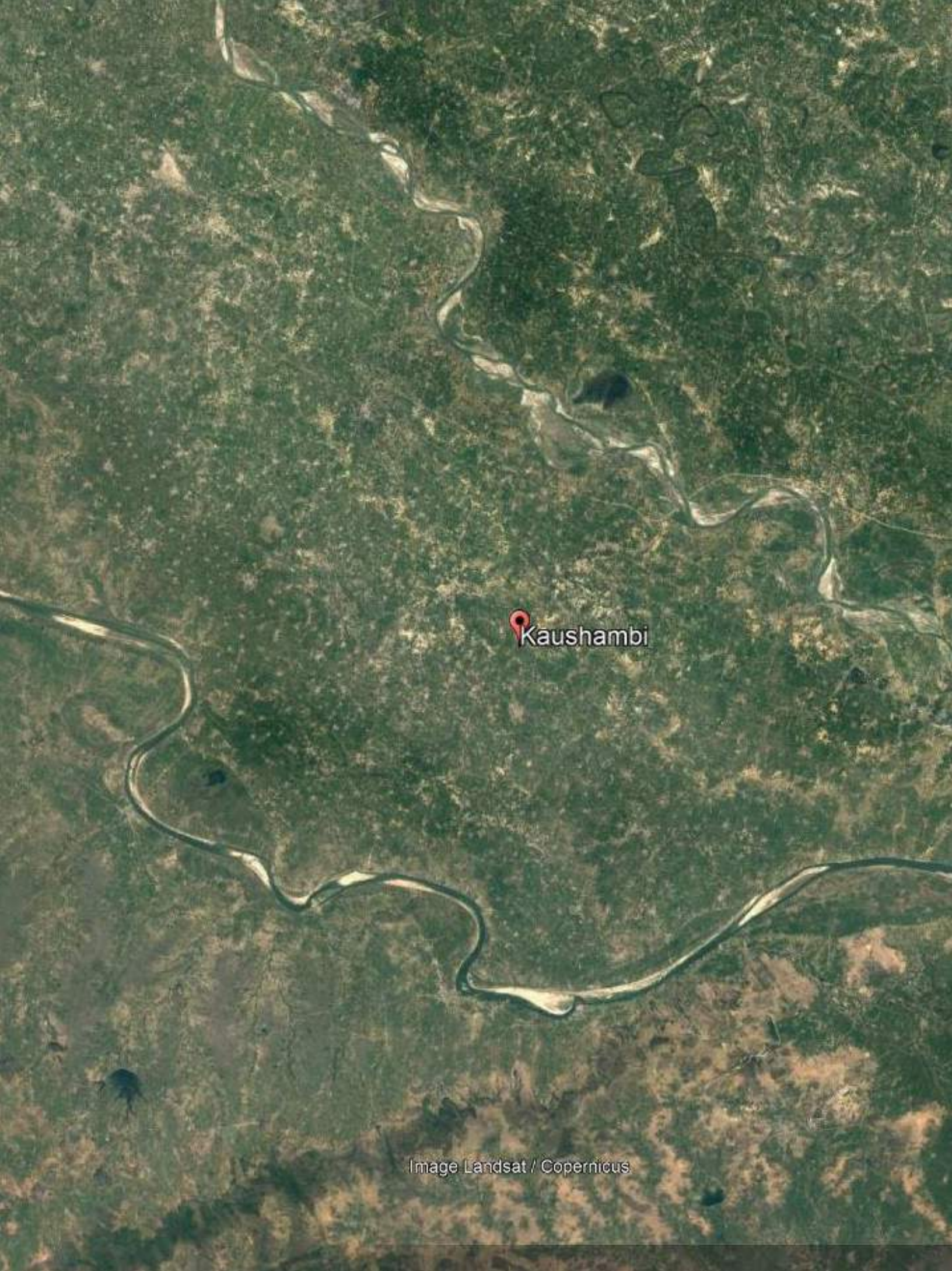
परिचय

सहमति पत्र

भाग - 1 प्रस्तावना	01
भाग - 2 ग्राम पंचायत का विवरण	02
2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	02
2.2 ग्राम पंचायत वयन के मानक	02
2.3 ग्राम पंचायत वयन की प्रक्रिया	02
2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण	02
2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय	03
2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति	03
2.7 कृषि एवं पशुपालन	03
2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण एवं स्वच्छता	03
2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता एवं स्थिति	04
2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैव विविधता का विवरण	04
2.11 समुदाय की यमुना नदी पर निर्भरता	04
2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैव विविधता कार्यक्रम की जानकारी	04
2.13 ग्राम पंचायत में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण	05
भाग - 3 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (Stakeholders)	06
3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक	06
भाग - 4 समस्या विश्लेषण	08
4.1 समस्या विश्लेषण	08
भाग - 5 नियोजन का उद्देश्य	10
भाग - 6 प्रस्तावित गतिविधियाँ, रणनीति तथा समन्वयन	13
6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ	13
6.2 समुदाय आधारित संस्थाएँ एवं उनका योगदान	13
6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ	14
6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ	14

विषय - वस्तु

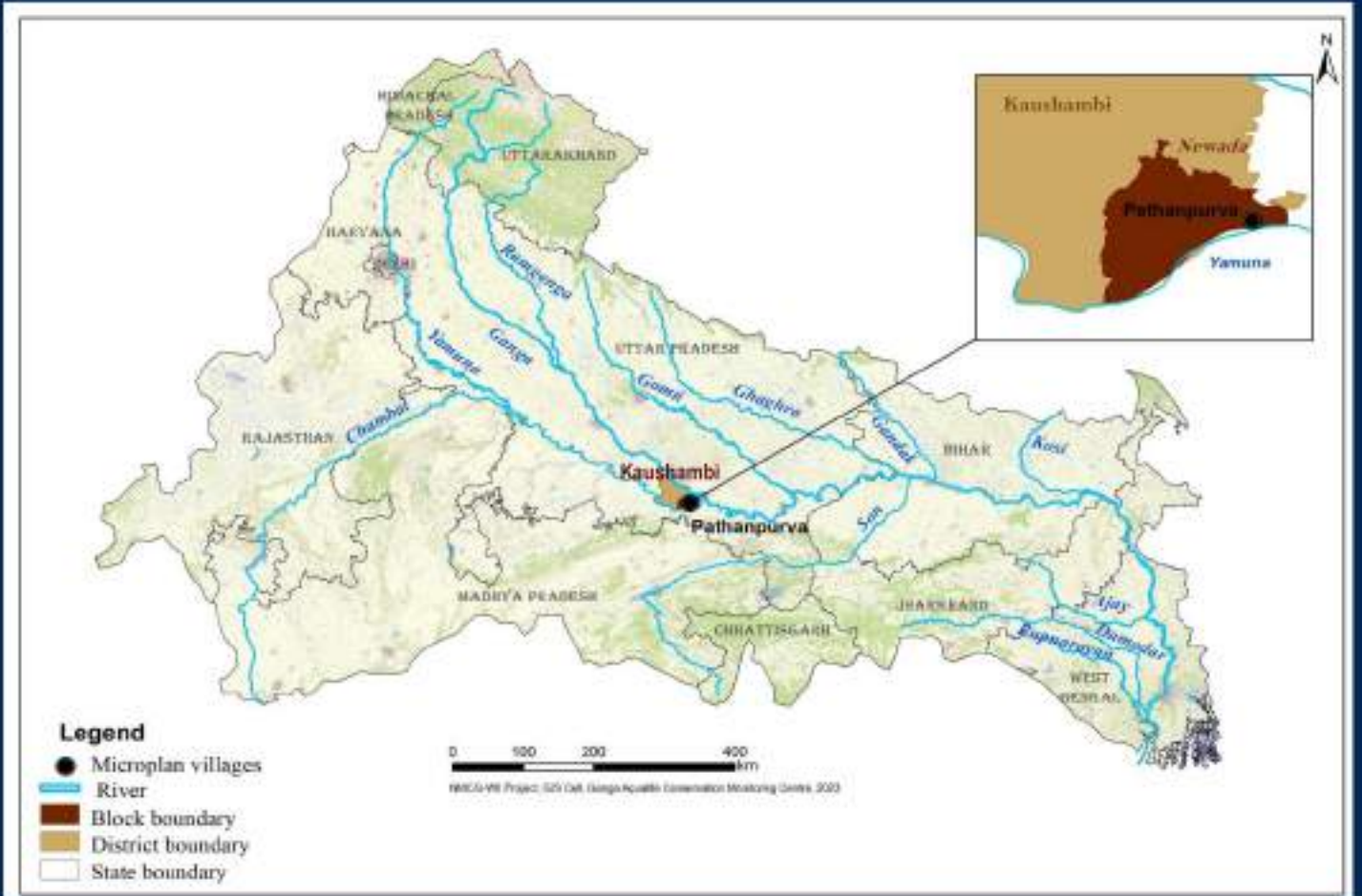
6.5 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ	14
6.6 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियाँ	15
6.7 मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियाँ	15
6.8 जैव विविधता संबंधी गतिविधियाँ	15
6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन	16
भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण	17
7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट	19
7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	20
7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व	20
7.5 विवाद का निपटारा	21
7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव	21
7.7 सफलता के सूचक	21
अनुलग्नक	22
1 समझौता ज्ञापन	22
2 सामाजिक मानचित्र	23
3 सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची	24
फोटो गैलरी	25



 Kaushambi

Image Landsat / Copernicus

मानचित्र



पठनपुरवा



भारत सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिये नमामि गंगे नामक एक एकीकृत गंगा संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। परियोजना के द्वितीय चरण में गंगा नदी की सहायक नदियों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्तर पर नदी की सफाई के तहत तरल कचरे की समस्या को हल करने हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में जल व मल के निस्तारण हेतु शौचालयों का निर्माण, शवदाह गृहों का उद्घाटन, आधुनिकीकरण एवं निर्माण, घाटों का निर्माण और मरम्मत आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जैवविविधता संरक्षण, वनीकरण व पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिये भी कार्य किया जाना है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गंगा नदी की स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु चलाये जा रहे नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जलीय जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गंगा नदी की विभिन्न प्रजातियां जो वर्तमान में संकटग्रस्त हैं या निकट भविष्य में जिनके लुप्त होने की संभावना है, इन प्रजातियों की विविधता के लिये उत्पन्न होने वाले खतरे में कमी आये। परियोजना के प्रथम चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा में कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया। जिसमें जैवविविधता संरक्षण हेतु 6 घटकों पर कार्य किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा जलीय जीव संरक्षण एवं अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी के जलीय जीवों के पुनर्सूद्वार हेतु योजना का निर्माण, वन विभाग एवं अन्य हितधारकों का क्षमता विकास, जलीय प्रजातियों हेतु बचाव एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना, गंगा नदी की प्रजातियों के पुनर्वास हेतु समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु नेचर इंटरप्रेटेशन और शिक्षा आदि कार्यक्रम प्रमुख हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में कार्यक्रम का क्रियान्वयन गंगा की सहायक नदियों में किया जा रहा है।

सूक्ष्म नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजना का निर्माण करता है। सूक्ष्म नियोजन में समुदाय के सभी वर्गों की भागीदारी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। नियोजन की प्रक्रिया को विकेंद्रित (**Decentralised**), सतत् (**Sustainable**) एवं सहभागी (**Participatory**) बनाने का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें नियोजन की प्रक्रिया ऊपर से नीचे (**Top to bottom**) न होकर नीचे से ऊपर (**Bottom to top**) की ओर होती है। इस प्रक्रिया में समुदाय के ज्ञान व अनुभवों को आधार मानकर कई सहभागी आकलन की गतिविधियों के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है।



सहमति पत्र

ग्राम पंचायत सेवदा

वि.ख.नेवादा , तहसील चायल,कौशांबी

प्रधान

दिनांक

आशा देवी मो. 9648021645

...22/01/2023

जैव विविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेवदा निम्न सूची में पदवी धारियों के विभिन्न बैठकों का प्रशासकीय एवं प्रशिक्षण के साथ 2 अंग गति विविधता अभियान की गयी है। समुदाय के साथ लगातार चर्चा के बाद गंगा कि जैव विविधता संरक्षण हेतु यह ग्राम स्वयं सुदृढ़ योजना तैयार की गयी है। इस योजना बैठक के चर्चा करने के उपरान्त समुदाय द्वारा इस सहमति कि गयी है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम समुदाय इस सहमति भारतीय व-म पीत संरक्षण एवं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ तैयार है।



पठनपुरवा



भाग - 1 प्रस्तावना

1.1 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म जैवविविधता योजना

ग्राम पंचायत	सेवदा
अवस्थिति	अक्षांश 25°21'42.3 एवं देशान्तर 81°39'44.1"
विकासखंड	नेवादा
जिला	कौशाम्बी
राज्य	उत्तर प्रदेश
मुख्यालय मंझनपुर से दूरी	45 कि०मी०
तहसील मुख्यालय चायल से दूरी	13 कि०मी०
यमुना नदी से दूरी	100 मी०
कुल जनसंख्या	6,700
कुल परिवार	1,112
मुख्य जातियां	सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग
मुख्य समस्याएं	• जैवविविधता के महत्व संबंधी जागरूकता की कमी, • कृषि में रासायनिक खादों का प्रयोग, • धार्मिक व पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करना, • गांव और घाटों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था न होना, • आजीविका हेतु यमुना नदी पर निर्भरता, • स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ न होना
प्रस्तावित गतिविधियाँ	• सामुदायिक जागरूकता गतिविधियाँ • समुदाय आधारित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण • आजीविका व कौशल विकास गतिविधियाँ • स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ • जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियाँ • कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ • पशुपालन संबंधी गतिविधियाँ • मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियाँ

2.1 ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण-

ग्राम पंचायत सेवदा, जिसका एक भाग ग्राम पठनपुरवा है, यमुना नदी तट से 100 मी० की दूरी स्थित है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के कौशाम्बी जिले के विकासखंड नेवादा में स्थित है। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 कि०मी० एवं राजधानी लखनऊ से 209 कि०मी० है। सेवदा का पिनकोड 211012 है और प्रधान डाकघर नेवादा में स्थित है। जो गाँव से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जनपद कौशाम्बी और चित्रकूट की सीमा पर स्थित है। गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 543.15 हैक्टेयर है। ग्राम पंचायत सेवदा की कुल जनसंख्या 6,690 है। यहाँ पर लगभग 1,112 परिवार निवास करते हैं।

2.2 ग्राम चयन के मानक -

ग्राम पठनपुरवा नदी के तट पर स्थित है। नदी के इस भाग में जलीय जैव विविधता विशेषकर डॉल्फिन काफी संख्या में हैं। लगभग प्रत्येक परिवार की यमुना नदी पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से निर्भरता है। नदी प्रदूषण के कारकों और प्रदूषण के मानव और जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में जागरूकता का अभाव है। साथ ही जलीय जीवों के महत्व के बारे में भी लोग जागरूक नहीं हैं। ग्राम पंचायत के आसपास यमुना नदी में जैवविविधता काफी संख्या में पायी जाती है। जिनमें कछुए, घड़ियाल, डॉल्फिन, कई प्रजाति की मछलियाँ, आदि जलीय जीव शामिल हैं। ग्राम के यमुना नदी के तट पर स्थित होने के कारण तथा यहाँ पर जलीय जैवविविधता की उपस्थिति होने के कारण इस ग्राम को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

2.3 ग्राम पंचायत चयन की प्रक्रिया -

नमामि गंगे के अन्तर्गत विकासखंड कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट गाँवों की सूची के अनुसार तथा क्षेत्र में का स्थलीय भ्रमण करने के उपरान्त यमुना नदी के तट पर स्थित इस पंचायत का चयन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। ग्रामीण लोगों को जलीय जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता का अभाव है। उपरोक्त ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया गया एवं ग्राम समुदाय के साथ बैठकें कर ग्राम पंचायत की स्थिति को जाना गया व ग्रामवासियों को परियोजना की जानकारी दी गयी व कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया गया।

2.4 सामाजिक एवं जनसंख्यात्मक विवरण -

ग्राम पठनपुरवा में कुल 1112 परिवार निवास करते हैं, यहाँ की कुल जनसंख्या 6690 है, जिसमें 3390 पुरुष और 3300 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर 42 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम है। गाँव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही सामान्य जाति के लोग निवास करते हैं। ग्राम यमुना नदी के किनारे स्थित है यहाँ पर शिव मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ से नाव द्वारा मसुरिया माता के दर्शन करने काफी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं तथा यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी मानकर इनकी पूजा की जाती है। गाँव में शिव मंदिर में एकादशी मेला, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, विजय दशमी, छठ पूजा, अन्य धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं जिस दौरान समुदाय के लोग नदी में स्नान तथा धार्मिक अनुष्ठान के लिये जाते हैं। ग्राम पंचायत में पारम्परिक मेलों तथा त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है।

2.5 आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय -

नेवादा विकासखण्ड के पठनपुरवा ग्राम में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति निम्न मध्यमवर्गीय है। 1,112 परिवारों में से 780 परिवार प्राथमिक रूप से कृषि व पशुपालन पर आश्रित है। 20 परिवार स्वरोजगार, 80 परिवार सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में है। 35 मल्लाह परिवार यमुना नदी के किनारे पालिज खेती तथा 70 परिवार मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, यमुना नदी के तट पर 6 माह खेती की जाती है। 6 परिवार धार्मिक क्रियाकलाप का कार्य करते हैं। ग्राम में 600 परिवारों की वार्षिक आय एक लाख से कम है ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं। यहाँ पर आय का द्वितीयक स्रोत पशुपालन, मजदूरी, आटे चालन, मछली का शिकार तथा नदी किनारे की खेती (Riverbed farming) है।

2.6 ग्राम पंचायत में पेयजल एवं स्वच्छता की स्थिति -

ग्राम में सरकारी पेयजल की व्यवस्था है। 120 सरकारी एवं निजी हैंडपंप बने हैं तथा 7 कुँए हैं। जिससे सम्पूर्ण ग्राम की पेयजल व्यवस्था संचालित होती है। ग्राम में कुल 540 शौचालय निर्मित हैं, जिसमें 217 शौचालय लोगों द्वारा स्वयं बनाये गये हैं तथा 323 शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बने हैं। गाँव में एक सामुदायिक शौचालय भी है। गाँव में शौचालय रहित परिवारों की संख्या 472 है। जिन परिवारों के पास शौचालय नहीं है वे सामुदायिक शौचालय का उपयोग करते हैं, या फिर खुले में शौच के लिये जाते हैं। गाँव में लगभग 55 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही शौचालय का उपयोग किया जाता है, शौचालय प्रयोग न करने का मुख्य कारण जागरूकता का अभाव और मानसिकता है। कूड़ा निस्तारण सभी परिवारों के द्वारा स्वयं के स्तर पर किया जाता है, गाँव में सार्वजनिक या पंचायत का कूड़ा डम्पिंग क्षेत्र नहीं है, कूड़े को अपने घर के आसपास, खेतों में तथा नदी के किनारे डाला जाता है।

2.7 कृषि एवं पशुपालन -

ग्राम पंचायत में आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ पर कुल 250 हेक्टेयर कृषि भूमि पर खेती की जाती है। जिसमें धान, गेहूँ, केला, मटर, चना, सरसों, जौ, अरहर, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। नदी तट पर मुख्य रूप से नकदी फसलें आलू, राई, पालक, बथुआ, टमाटर, लौकी, तोरी, खीरा, गोभी, प्याज आदि उगाये जाते हैं। यहाँ पर कुल 780 परिवार कृषि व पशुपालन पर निर्भर हैं, तथा 4 परिवारों द्वारा दूध को बाजार में विक्रय किया जाता है। फसलों का कीटों से बचाव करने हेतु मैलाथियान, पर्मेथिन आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। फसल अच्छी हो इसके लिए रासायनिक खाद, यूरिया और डीएनपी का प्रयोग भी करते हैं।

2.8 वर्षा व अन्य जल संसाधनों का विवरण -

जनपद में मौसम गर्म तथा आर्द्रता 46 प्रतिशत रहती है, ग्राम में औसतन वार्षिक वर्षा 864 मि॰मी॰ तक होती है। सिंचाई व पेयजल हेतु मुख्य स्रोत यमुना नदी का पानी है। सिंचाई हेतु ट्यूबवैल और नहर बनाई गई है, इसके साथ ही कुछ परिवारों द्वारा सिंचाई हेतु निजी कुँए एवं हैंडपंप भी लगाये गये हैं।

2.9 ग्राम पंचायत तक पहुँच एवं संचार के साधनों की उपलब्धता -

ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग से आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। हाइवे से यहाँ तक पहुंचने के साधन ऑटो, बाईक, स्कूटर, बस आदि हैं। इसके अलावा ग्राम संचार के साधनों में ग्राम में टेलीफोन, व प्रधान डाकघर गाँव से कुछ दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन 10 किमी० की दूरी पर स्थित है।

2.10 ग्राम पंचायत व उसके आसपास वन संसाधन व जैवविविधता का विवरण -

गाँव के आसपास पीपल, नीम बबूल आदि के पेड़ हैं। यहाँ पर यमुना नदी में जलीय जैवविविधता बहुत समृद्ध है जिनमें मछलियाँ, डॉल्फिन, कछुये, साँप, मेंढक, आदि जलीय जीव तथा प्रवासी पक्षी पाये जाते हैं। गाँव से कुछ दूरी पर स्किमर पक्षी का प्रजनन क्षेत्र है। आजीविका हेतु यहाँ के लोगों की नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता कृषि के लिये जल, नौकायन, मछली के शिकार और पालिज की खेती के रूप में है।

2.11 समुदाय की यमुना नदी पर निर्भरता -

पठनपुरवा में लगभग 100 परिवार यमुना नदी के तट पर पालिज की खेती, नाविक एवं मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। इन सभी परिवारों की नदी पर प्रत्यक्ष निर्भरता है। गाँववासियों का धार्मिक पूजा पाठ और संस्कारों के माध्यम से भी नदी से जुड़ाव है। गाँव में मेले पूजा इत्यादि भी नदी के किनारे ही किये जाते हैं। ग्राम में बहुसंख्य परिवार आजीविका हेतु कृषि एवं पशुपालन करते हैं। कृषि एवं पशुओं के लिये जल हेतु समुदाय यमुना नदी पर निर्भर है। 70 परिवारों के द्वारा नदी के 5 किमी० क्षेत्र में मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। समुदाय द्वारा पशुओं के चारे, छप्पर व चटाई बनाने आदि के लिये यमुना नदी के किनारे होने वाली घास का प्रयोग करते हैं।

2.12 ग्राम पंचायत में चल रहे/पूर्व में संचालित जैवविविधता कार्यक्रम की जानकारी -

ग्राम पंचायत सेवदा में जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) गठित नहीं है। पूर्व में किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था के द्वारा जैवविविधता संरक्षण से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया गया है।



2.13 ग्राम में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं/विभागों/कार्यक्रमों का विवरण

ग्राम में चल रहे कार्यक्रमों एवं समुदाय आधारित संस्थाओं का विवरण एवं संख्या निम्नवत है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	गठित संस्था का नाम	कार्यक्रम का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	टिप्पणी
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वयं सहायता समूह	प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार	3 समूह, 23 सदस्य	समूह बने हैं जो बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े हैं।
2.	मनरेगा		ग्रामीण रोजगार		
3	समेकित बाल विकास योजना	आंगनवाड़ी	2 आंगनवाड़ी केन्द्र	48 बच्चे व 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	
4	स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छता समिति	समुदाय को ग्राम पंचायत की स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करना	323	
5	उज्जवला योजना		निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण	50 परिवार	

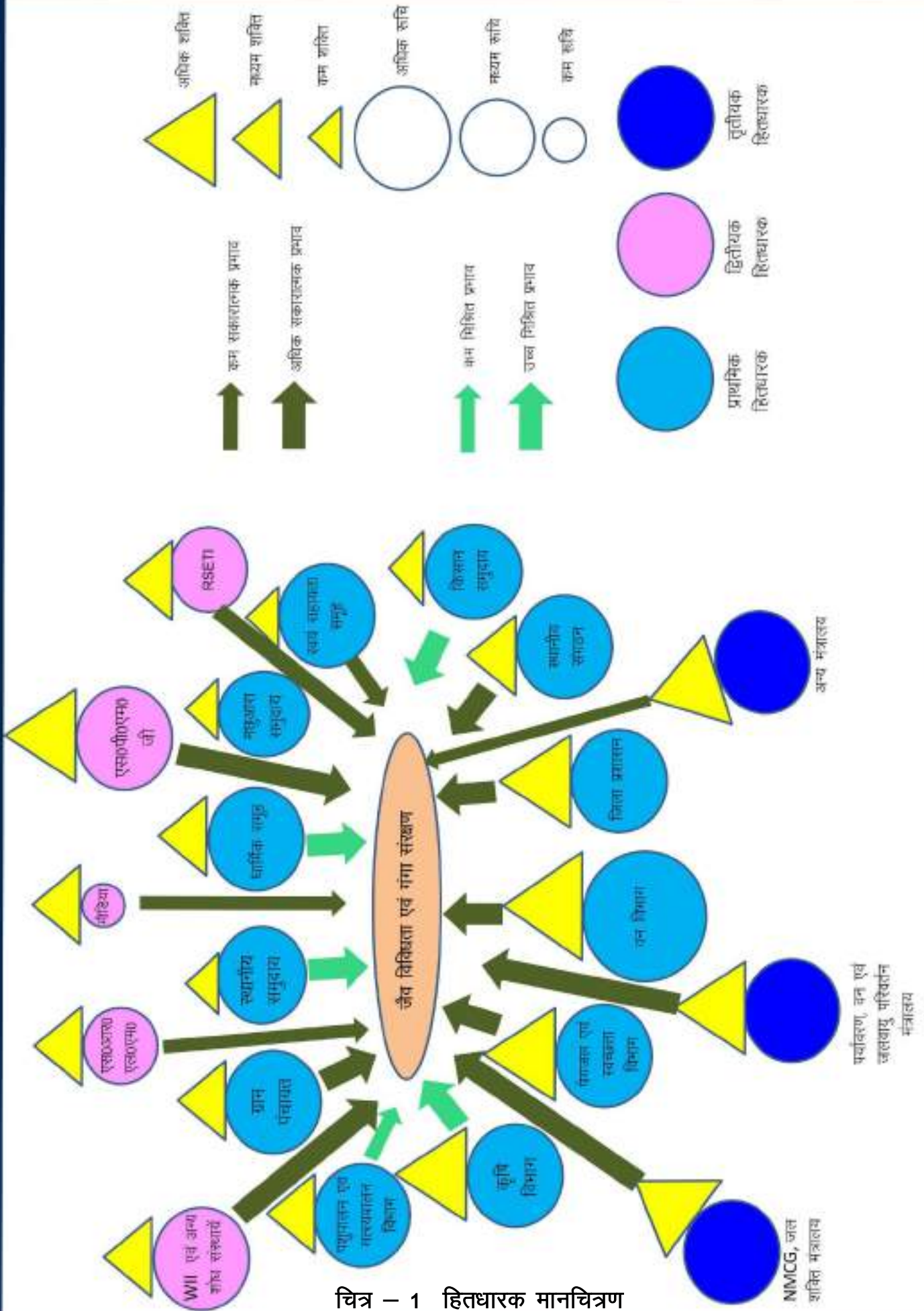


3.1 कार्यक्रम के मुख्य हितधारक (stakeholders)

जैवविविधता एवं गंगा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हितधारकों की पहचान करने हेतु समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बैठकें की गई। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, मल्लाह समुदाय, ग्रामीण समुदाय, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों आदि के साथ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई व यमुना नदी की स्वच्छता एवं जैवविविधता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले निम्न वर्गों को हितधारक के रूप में चिन्हित किया गया-

- स्थानीय समुदाय
- पालिज की खेती करने वाले व अन्य किसान
- मल्लाह/मछुआरा समुदाय
- विद्यालयों के छात्र/छात्राएं
- ग्राम पंचायत के चयनित सदस्य
- गंगा प्रहरी
- स्वयं सहायता समूह, आंगनवाडी, आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय समिति
- विभिन्न विभाग एवं कार्यक्रम के अधिकारी कर्मचारी गण- स्वच्छ भारत मिशन, राज्य आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वन विभाग, ।
- मीडिया
- RSETI एवं अन्य कौशल प्रशिक्षण संस्थान
- विभिन्न शोध एवं अन्य संस्थानें
- केन्द्रीय मंत्रालय - जलशक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, अन्य मंत्रालय आदि।

यमुना नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं इसकी स्वच्छता के संबंध में विभिन्न हितधारकों (संगठनों, संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों) के प्रभाव शक्ति और रुचि को पहचानने, सूचीबद्ध करने और उसका विश्लेषण करने के लिये हितधारक मानचित्रण किया गया है। यमुना नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता में हितधारकों के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों, अंतर्संबंधों, गठबंधनों और संघर्षों को पहचानने के लिये यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। हितधारक मानचित्र यमुना नदी की जैवविविधता के संरक्षण में विभिन्न हितधारकों की शक्ति, रुचि एवं प्रभाव को दर्शा रहा है। यमुना नदी पर हितधारकों के प्रभाव एवं उनकी भूमिका के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक हितधारकों को विभिन्न रंगों से दर्शाया गया है। ये मानचित्र विभिन्न हितधारकों के बीच अंतर्निभरता को समझाने एवं यमुना नदी के संरक्षण के प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संभावित गठबंधन बनाने में सहायक होगा।



चित्र - 1 हितधारक मानचित्रण

4.1 समस्या विश्लेषण-

ग्राम पठनपुरवा यमुना नदी के पास बसा है नदी के इस भाग में जलीय जैवविविधता विशेषकर डॉल्फिन प्रचुर मात्रा में है। क्षेत्र में कभी कभी डॉल्फिन के जाल में फंसकर मरने की घटनाएँ भी सामने आई हैं। जिसके लिये समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है। साथ ही डॉल्फिन के लिये खतरों को देखते हुये वन विभाग के द्वारा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक है।

यहाँ पर मल्लाह समुदाय के 70 परिवारों के द्वारा यमुना नदी में नाव चलाने के साथ-साथ नदी किनारे मौसमी खेती भी की जाती है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिये ग्रामीणों के द्वारा कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। कीटनाशकों एवं रासायनिक खाद के उपयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ ही यमुना नदी की जलीय जैवविविधता को नुकसान पहुँच रहा है। लगातार पालिज की खेती करने से कछुओं के प्रजनन व निवास स्थल को भी नुकसान पहुँचा है।

नदी के किनारे से पशुओं का चारा, छप्पर बनाने, चटाई बनाने हेतु घास लायी जाती है, जिससे जलीय जीवों के निवास स्थल तथा प्रजनन क्षेत्र को नुकसान होता है, और यमुना की जैवविविधता का क्षरण होता जा रहा है।

ग्राम के लगभग सभी परिवारों का गंदा पानी सीधे तौर पर यमुना नदी में प्रवाहित होता है। पूरी ग्राम पंचायत में कूड़ा निपटान की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। यमुना नदी के किनारे बसे समुदाय द्वारा कूड़ा नदी किनारे डाला जाता है, जो बाद में वर्षा या हवा के माध्यम से नदी में प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्मित किये गये हैं, 472 परिवारों के पास शौचालय नहीं है। एक सार्वजनिक शौचालय निर्मित है जिसका उपयोग कुछ ही परिवारों के द्वारा किया जाता है।

[illegible]

भाग - 5 नियोजन का उद्देश्य

नियोजन का मुख्य उद्देश्य यमुना एवं गंगा नदी की जैवविविधता के संरक्षण एवं इनकी स्वच्छता हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं संरक्षण कार्यों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है जिससे संरक्षण कार्यों की निरन्तरता बनी रहे।

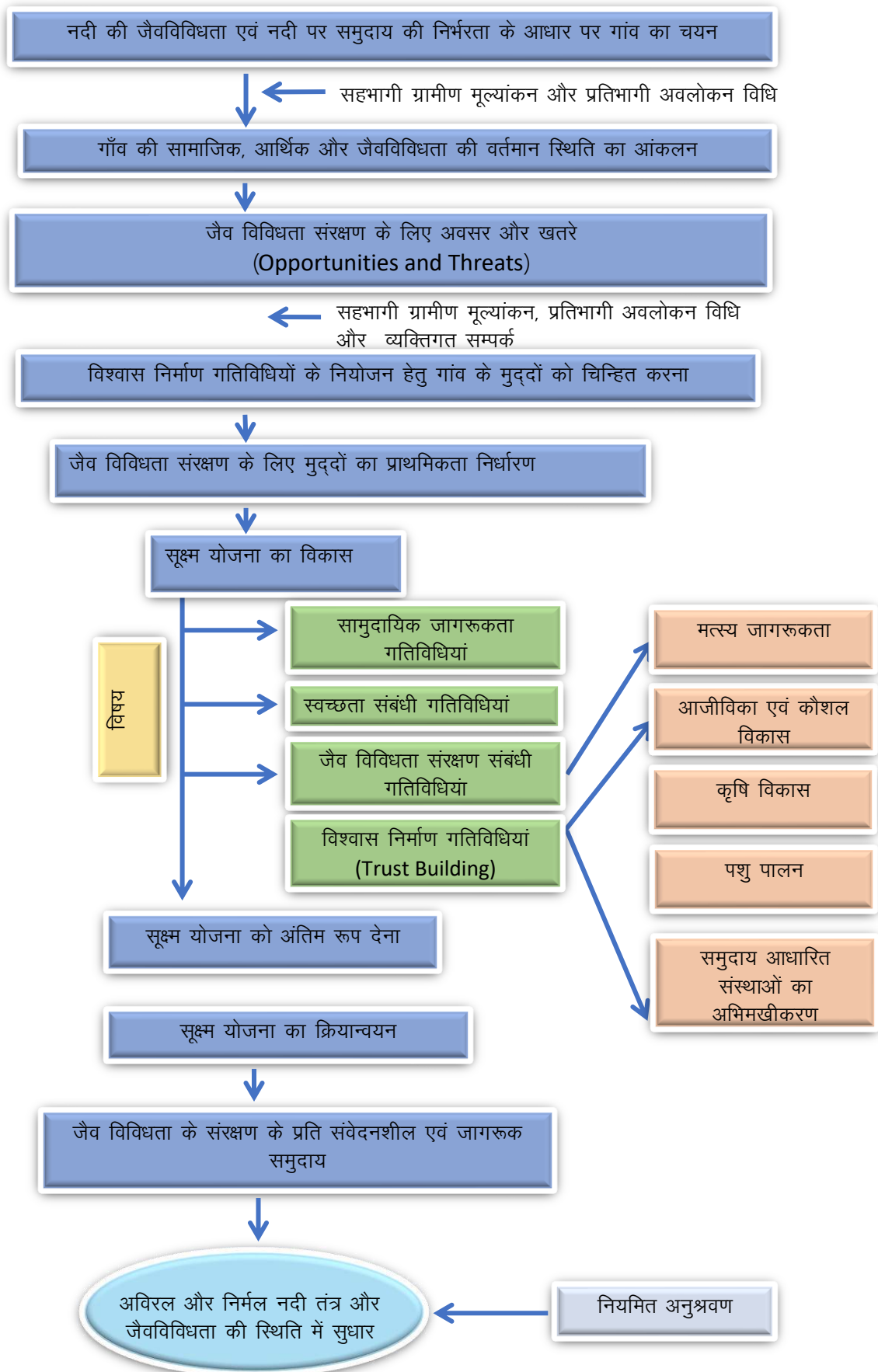
दीर्घकालीन उद्देश्य -

यमुना नदी की अविरलता एवं निर्मलता को बनाये रखने के लिये जलीय जीवों के संरक्षण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।

अल्पकालीन उद्देश्य -

- क्षेत्र में जलीय जीवों विशेषकर डॉल्फिन के संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- यमुना नदी की जैवविविधता के संरक्षण हेतु समुदाय को जागरूक एवं संवेदनशील बनाना ताकि वे जैवविविधता संरक्षण के कार्य में भागीदारी कर सकें।





चित्र – 3 नियोजन की प्रक्रिया



जैव विविधता के संरक्षण के लिये ग्राम में 8 मुख्य बिंदुओं पर कार्य करना तय किया गया है जिसके लिये की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है।

6.1 सामुदायिक जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम पठनपुरवा में जैवविविधता संरक्षण संबंधी जागरूकता का नितांत अभाव है। यहाँ पर नदी में डॉल्फिन काफी संख्या में पाई जाती है परंतु जागरूकता के अभाव में दुर्घटनावश जाल में फंसने पर समुदाय द्वारा उनके बचाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

- नदी की जैवविविधता का महत्व पर समुदाय के विभिन्न वर्गों खासकर मल्लाह और मछुआरा समुदाय को जागरूक व संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके लिये नियमित तौर पर जागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे।
- वन विभाग के साथ मिलकर नदी तंत्र में डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के स्टेट्स (Endangered and Protected) के बारे में जानकारी देने व उनके संरक्षण के लिये पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।
- गांव और उसके आसपास मुनादी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से डॉल्फिन के संरक्षण के लिये जागरूकता पैदा करना।
- मल्लाह समुदाय को उचित जाल के प्रयोग एवं महीन जाल के प्रयोग से होने वाली हानि के बारे में जागरूक किया जायेगा।
- यहाँ पर शौचालयों की कम संख्या एवं प्रयोग को देखते हुये स्वच्छता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम ग्राम में गठित स्वच्छता समिति एवं गंगा प्रहरियों के माध्यम से किये जायेंगे।
- कृषि में रासायनिक खादों के उपयोग को देखते हुये जैविक एवं प्राकृतिक कृषि कार्यक्रमों पर जागरूकता के लिये कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

6.2 समुदाय आधारित संस्थाएँ एवं उनका योगदान-

पंचायत स्तर पर गठित विभिन्न समूह जैवविविधता संबंधी गतिविधियों में सहयोग दे सकते हैं। ग्राम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इन्हें जैवविविधता संरक्षण संबंधी गतिविधियों से जोड़ने के लिये इनके साथ लगातार बैठकों का आयोजन किया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों के साथ ही ग्राम में गठित स्वच्छता समिति के सदस्यों को सक्रिय कर स्वच्छता तथा जागरूकता गतिविधियों को आयोजित करने में उनका सहयोग लिया जायेगा। इस कार्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व स्वच्छ भारत अभियान के अधिकारियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से डॉल्फिन संरक्षण के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिये सहयोग लिया जा सकता है।

6.3 आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी गतिविधियाँ -

पठनपुरवा में बहुसंख्य परिवार कृषि व पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्राम पंचायत में जैवविविधता संरक्षण संबंधी कार्यों की निरन्तरता के लिये आवश्यक है कि युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम से जोड़ा जाये साथ ही उनमें ऐसे कौशल का विकास किया जाये, जिससे उनकी नदी पर निर्भरता कम हो।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास से संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर क्षेत्रीय युवाओं व युवतियों को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिलवाने का प्रयास किया जायेगा जिससे युवाओं में रोजगार के अवसरों की पहचान करने तथा कार्य करने की रुचि जागृत हो। ग्राम स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण, कम्प्यूटर एवं ब्यूटीशियन के प्रशिक्षण की मांग समुदाय द्वारा की गई है। इस कार्य में जिला स्तर पर स्थापित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) की सहायता ली जा सकती है।

कार्यक्रम के अंतर्गत भी समुदाय हेतु कुछ आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से मल्लाह एवं पालिज कृषि करने वाले परिवारों के सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी। प्रशिक्षण आयोजित करने के पश्चात प्रतिभागियों को आजीविका संबंधी गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रेरित करने के साथ ही स्थानीय समुदाय के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

6.4 स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ -

ग्राम में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिये पंचायत स्तर पर गठित स्वच्छता समिति के सदस्यों के साथ गंगा प्रहरियों का समन्वय स्थापित करने एवं ग्रामवासियों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने हेतु बैठकों, स्वच्छता अभियान आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलीय जीवों को होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया जायेगा। खुले में शौच के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित किया जायेगा।

कूड़ा निपटान के साथ ही गंदे पानी के उचित निस्तारण के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर गांव में स्वच्छता सुविधाओं के विकास के लिये कार्य किया जायेगा। गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रकने के लिये एक सामुदायिक सोखता गड्ढा का निर्माण किया जा सकता है।

6.5 कृषि विकास संबंधी गतिविधियाँ -

ग्राम पठनपुरवा में लगभग 70% परिवार कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ पर 250 हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ ही नदी तट पर पालेज खेती की जाती है। किसानों के द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिये खेतों में रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य के साथ ही नदी में रहने वाले जलीय जीवों को होने वाली हानि के प्रति समुदाय को जागरूक किया जाना आवश्यक है। नदी किनारे कृषि करने से जलीय जीवों के निवास तथा प्रजनन स्थल पर भी संकट पैदा हो रहा है। जैव विविधता के संरक्षण के लिये गांव में कृषि जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं

प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित किया जायेगा।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे प्राकृतिक कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गांव को सम्मिलित करते हुये कृषकों को इसे अपनाने के लिये प्रेरित किया जा सकता है। किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों का प्रशिक्षण संबंधित विभाग के सहयोग से दिया जायेगा।

6.6 पशुपालन विकास संबंधी गतिविधियां -

पठनपुरवा में पशुपालन को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में किया जाता है। यहाँ पर लगभग 50% परिवारों के पास पशु हैं। पशुपालन से आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिये बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी के साथ ही सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी। इसके लिये विकासखंड व जिला स्तर पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। साथ ही चारे की पर्याप्त आपूर्ति के लिये सामुदायिक/व्यवितगत भूमि पर चारा पत्ती वाले स्थानीय पेड़ों का रोपण किया जायेगा।

6.7 मत्स्य जागरूकता संबंधी गतिविधियाँ-

ग्राम पठनपुरवा और उसके आसपास स्थित क्षेत्रों में मछुआरा समुदाय काफी संख्या में है। जिनकी आजीविका पूर्ण रूप से मछली के शिकार पर आश्रित है। जलीय जैव विविधता के संरक्षण के लिये इनके साथ जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ ही महत्व, वैकल्पिक आजीविका स्रोत तथा मछली पकड़ने के उचित जाल का उपयोग करने हेतु लोगों को जागरूक किया जायेगा। मछली के शिकार से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये विभाग के साथ मिलकर जागरूकता व क्षेत्र भ्रमण आयोजित किये जायेंगे। साथ ही जलीय जीवों के महत्व के बारे में मछुआरों के लिये जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

6.8 जैवविविधता संबंधी गतिविधियाँ -

उपरोक्त वर्णित सभी गतिविधियां जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देंगी। इसके साथ ही नदी की स्वच्छता में जलीय जीवों के द्वारा दिये जाने वाले योगदान के बारे में जागरूक करते हुये समुदाय को नदी एवं उसके आसपास की जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रेरित किया जायेगा। समुदाय में से चयनित गंगा प्रहरियों के एक सुदृढ़ और प्रशिक्षित समूह को गांव व उसके आसपास की जैव विविधता के संरक्षण के लिये स्थापित किया जायेगा। जिनके माध्यम से नदी व उसके आसपास स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जायेंगी।

मछुआरों को गंगा प्रहरी कार्यक्रम में नामांकन कर उनके लिये बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा। उन्हें जलीय जीवों के दुर्घटनावश जाल में फंसने पर वन विभाग को संपर्क करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। कुछ मछुआरों को वन विभाग के माध्यम से डॉल्फिन एम्बेसडर भी बनाया जा सकता है।

जैविक व प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देकर नदी में रासायनिक तत्वों के बहाव को कम करने का प्रयास किया जायेगा। ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कार्य जिला गंगा

समिति के माध्यम से संबंधित विभागों के साथ संपर्क तथा समन्वय स्थापित किया जायेगा। इसे ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना में भी शामिल किया जा सकता है। नदी व जल स्रोत के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु समुदाय के साथ मिलकर कार्य किया जायेगा।

6.9 रेखीय विभागों का विवरण एवं समन्वयन-

उपरोक्त योजनाओं एवं गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित किये गये विभागों का विवरण निम्नवत है-

क्रम सं०	गतिविधि	विभाग
1.	ग्रामीण विकास, स्वच्छता संबंधी योजनाओं की जानकारी एवं निर्माण करना।	ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छ भारत अभियान
2.	वृक्षारोपण एवं जैवविविधता संरक्षण।	वन विभाग
3.	कौशल विकास एवं आजीविका संबंधी प्रशिक्षण	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम, WISE, HESCO, RSETI आदि
4.	उन्नत एवं जैविक कृषि, पशुपालन, बायो गैस, बायो कम्पोस्ट निर्माण	कृषि एवं पशुपालन विभाग, बाएफ, विकासखंड कार्यालय

उपरोक्त विभागों से समन्वय स्थापित कर समुदाय को विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।



भाग - 7 व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

7.1 सहमत गतिविधियों का व्यवहार्यता (feasibility) विश्लेषण

योजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई गतिविधियों का सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना आवश्यक है तभी उसके क्रियान्वयन से समुदाय लाभान्वित हो सकेगा।

क्रम सं०	प्रस्तावित गतिविधि	व्यवहार्यता
1-	नदी की जैवविविधता का महत्व पर समुदाय के विभिन्न वर्गों खासकर मल्लाह और मछुआरा समुदाय को जागरूक व संवेदनशील बनाये जाने की आवश्यकता है जिसके लिये नियमित तौर पर जागरूकता कार्यक्रम किये जायेंगे।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
2	वन विभाग के साथ मिलकर नदी तंत्र में डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के स्टेट्स (Endangered and Protected) के बारे में जानकारी देने व उनके संरक्षण के लिये पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
3	गांव और उसके आसपास मुनादी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से डॉल्फिन के संरक्षण के लिये जागरूकता पैदा करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
4	मल्लाह समुदाय को उचित जाल के प्रयोग एवं महीन जाल के प्रयोग से होने वाली हानि के बारे में जागरूक किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
5	यहाँ पर शौचालयों की कम संख्या एवं प्रयोग को देखते हुये स्वच्छता संबंधित जागरूकता कार्यक्रम ग्राम में गठित स्वच्छता समिति एवं गंगा प्रहरियों के माध्यम से किये जायेंगे।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
6	कृषि में रासायनिक खादों के उपयोग को देखते हुये जैविक एवं प्राकृतिक कृषि कार्यक्रमों पर जागरूकता के लिये कृषि विभाग के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी।
7	समूह के सदस्यों को, समुदाय के अन्य लोगों को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने और प्रेरित करने हेतु प्रशिक्षित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
8	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
9	आजीविका संबंधी प्रशिक्षणों में मुख्य रूप से मल्लाह एवं पालिज कृषि करने वाले पारिवारों के सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
10	स्थानीय समुदाय के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
11	बैठकों, स्वच्छता अभियान आदि के माध्यम से स्वच्छता, प्लास्टिक वस्तुओं खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
12	कूड़ादान के उपयोग हेतु समुदाय को जागरूक करना एवं समय-समय पर विशेषकर त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
13	समुदाय को अपने स्तर पर जैविक एवं अजैविक कूड़े के पृथक्करण एवं उसके निपटान के बारे में जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
14	गंगा प्रहरियों के द्वारा नदी किनारे स्वच्छता अभियान एवं पौधा रोपण समुदाय के सहयोग से किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

15	खुले में शौच के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में समुदाय को जागरूक कर शौचालय निर्माण के लिये प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
16	कूड़ा निपटान के साथ ही गंदे पानी के उचित निस्तारण के लिये ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर गांव में स्वच्छता सुविधाओं के विकास के लिये कार्य किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
17	नदी की पारिस्थितिकी, जैवविविधता एवं उस पर संकट के बारे में समुदाय को जागरूक करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
18	गंगा प्रहरियों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
19	वन विभाग के साथ निरंतर संपर्क एवं जलीय जीवों के बचाव एवं पुनर्वास हेतु एक तंत्र को तैयार करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
20	कूड़ा निस्तारण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
21.	संबंधित विभागों के सहयोग से ग्राम पंचायत में कूड़ा प्रबंधन की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
22	नदी व जल स्रोत के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हेतु कार्य करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
23	रसायनिक खादों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं जैवविविधता पर होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
24	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	विभागीय एवं संस्थागत सहयोग की आवश्यकता होगी
25	जैविक कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी हेतु कृषि विभाग के साथ सामंजस्य स्थापित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
26	किसानों को जैविक खाद बनाने के तरीकों एवं इनके महत्व के बारे में जानकारी देना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
27	विभागीय सहयोग (पशुपालन विभाग, बायफ) से अच्छी नस्ल के दुधारु पशु, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये चारे के उत्पादन व पौष्टिक चारे के विषय में जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
28	सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिये चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी जायेगी।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।
29	चारे हेतु सामुदायिक/व्यवितगत भूमि पर चारा पत्ती वाले पेड़ लगाने हेतु प्रेरित करना।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य। परंतु विभागीय सहयोग की आवश्यकता होगी
30	जैव विविधता के महत्व, वैकल्पिक आजीविका स्रोत तथा मछली पकड़ने के उचित जाल का उपयोग करने हेतु लोगों को जागरूक किया जायेगा।	सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी व आर्थिक रूप से व्यवहार्य।

7.2 वित्तीय आवश्यकता एवं बजट-

ग्राम पठानपुरवा में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के आर्थिक सहयोग से किया जायेगा। तकनीकी सहयोग हेतु जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वयन किया जायेगा। जहां तक संभव हो संबंधित विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समुदाय तक पहुँचाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कार्यक्रम क्रियान्वयन में आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सके।

बजट पठनपुरवा				
क्रम सं०	गतिविधि	संख्या	दर	कुल राशि
1	सामुदायिक जागरूकता गतिविधियां			
i	जलीय जैवविविधता विशेषकर डॉल्फिन संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन	10	20000	200000
ii	जागरूकता रैली, अभियान, मुनादी का आयोजन	5	10000	50000
iii	नुवकड़ नाटक	2	15000	30000
iv	जागरूकता हेतु दीवार लेखन	50	500	25000
v	डॉल्फिन संरक्षण संबंधित पर सूचना बोर्ड/होर्डिंग लगाना	2	10000	20000
				375000
2	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण			
i	समूह के सदस्यों, गंगा प्रहरी को जैवविविधता संबंधी कार्यों में प्रतिभाग करने हेतु प्रशिक्षित करना।	5	20000	100000
ii	आजीविका एवं कौशल विकास प्रशिक्षणों का आयोजन	3	150000	450000
iii	गंगा प्रहरियों, मछुआरों के लिये जागरूकता, सर्वेक्षण, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन।	2	50000	100000
iv	जैविक कृषि के लाभ पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण।	2	50000	100000
v	जैव विविधता संरक्षण पर रेखीय विभागों के साथ समन्वय कार्यशाला	1	150000	150000
				900000
3	प्रदर्शन एवं निर्माण			
i	प्रदर्शन (Demonstration) कम्पोस्ट पिट का निर्माण	2	20000	40000
ii	जैविक कृषि, कृषि वानिकी एवं खेतों में चारा घास रोपण का प्रदर्शन (Demonstration)	2	50000	100000
iii	त्योहारों एवं मेलों के बाद स्वच्छता अभियान का आयोजन	10	5000	50000

iv	वृक्षारोपण			50000
				240000
4	मानवशक्ति एवं यात्रा व्यय			
i	फील्ड असिस्टेंट (5 वर्ष)	1	10000	600000
ii	यात्रा व्यय			150000
				750000
			कुल (1+2+3+4)	2265000

7.3 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन-

उपरोक्त कार्ययोजना का समय-समय पर अनुश्रवण क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा किया जायेगा। कार्यक्रम के अनुश्रवण से हमें कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति व उसमें आने वाली बाधाओं की जानकारी प्राप्त होगी एवं मूल्यांकन कर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्राम पंचायत में गठित समुदाय आधारित संस्थाओं व गंगा प्रहरियों के माध्यम से कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जायेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर रखे जाने वाले रिकार्ड्स का भी कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायक होंगे।

7.4 पारस्परिक संकल्प एवं उत्तरदायित्व-

कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्यजीव संस्थान की टीम के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे -

एन०एम०सी०जी- भारतीय वन्य जीव संस्थान टीम

- जागरूकता गतिविधियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु बजट की व्यवस्था करना।
- गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- जलीय जीवों के बचाव व पुनर्वास हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करना एवं समुदाय को जागरूक करना।
- आजीविका एवं कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वयन स्थापित करना।

समुदाय

- विभिन्न गतिविधियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षणों में भागीदारी करना।
- सहमत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थान प्रदान करना।
- संकटग्रस्त जलीय जीवों की जानकारी संबंधित विभाग/कार्यकर्ताओं को देना।
- आजीविका एवं कौशल संबंधी प्रशिक्षणों में सक्रिय भागीदारी करना।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सहयोग करना।
- समय-समय पर स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का क्रियान्वयन।
- जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन

7.5 विवाद का निपटारा-

ग्राम पंचायत में पंचायत स्तर पर विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

7.6 रिकार्ड्स का रखरखाव-

रिकार्ड्स के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या उनके द्वारा चयनित प्रतिनिधि की होगी जिसके लिये ग्राम स्तर पर चयनित गंगा प्रहरियों का सहयोग लिया जा सकता है।

- गंगा एवं यमुना नदी की स्वच्छता संबंधी बैठकों एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियों हेतु रजिस्टर
- विभिन्न गतिविधियों के फोटोग्राफ
- क्रियान्वित गतिविधियों की रिपोर्ट
- प्रशिक्षण में शामिल प्रशिक्षणार्थियों का विवरण
- गंगा प्रहरी द्वारा की जा रही गतिविधियों का विवरण

7.7 सफलता के सूचक-

1. गंगा नदी के बेसिन में जलीय जीवों के संरक्षण हेतु गंगा प्रहरियों का एक संवर्ग (**cadre**) तैयार हो चुका है तथा स्थानीय समुदायों एवं अन्य हितधारकों को संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जा चुका है।
2. कार्यक्रम के हितधारकों, उनकी आवश्यकताओं और नदियों के संरक्षण में उनकी भूमिका सुनिश्चित कर ली गई है।
3. समुदाय डॉल्फिन के संरक्षण के लिये जागरूक है।
4. नदी पर आश्रित समुदाय हेतु कौशल व क्षमता विकास प्रशिक्षण किये जा चुके हैं।
5. समुदाय जैविक कृषि कार्यक्रमों को अपनाने हेतु पहल कर रहा है।
6. ग्राम पंचायत व घाटों पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार हुआ है।
7. समुदाय जैवविविधता संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूक है एवं इसके लिये स्वयं गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
8. आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
9. गंगा प्रहरियों के द्वारा लगातार समुदाय को नदी के जलीय जीवों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

अनुलग्नक - 1

समझौता ज्ञापन



भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

गंगा मिशन



समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सभी भागीदारों को एक साथ लाकर गंगा नदी की जैवविविधता को बहाल करने के लिए एक दृष्टिकोण विकसित किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की जाने वाली परियोजना "जैवविविधता और गंगा संरक्षण" इस संरक्षण की नीति का एक अभिन्न हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के सहयोग से, गंगा और उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों के लिए बहाली योजना विकसित करना है, जिसके लिए शामिल दलों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।

समझौता ज्ञापन के पक्षधारी

इस समझौता ज्ञापन पर पञ्चपुरा पंचायत ग्राम पंचायत, जिला काशी राज्य उत्तर प्रदेश और भारतीय वन्यजीव संस्थान के बीच 16/07/2021 दिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

समझौता ज्ञापन के विषय

यह दस्तावेज गंगा व उसकी सहायक नदियों की जलीय प्रजातियों की बहाली के लिए शामिल दलों द्वारा परस्पर सहयोग के लिए प्रतिबद्धता तथा निम्न उद्देश्यों को सामूहिक रूप से स्थापित करने की दिशा में प्रयास को दर्शाता है:

- स्थानीय समुदायों के बीच, गंगा व उसकी सहायक नदियों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए, गंगा प्रहरी कैंडलर का सृजन।
- घायल एवं बीमार जलीय जीव-जंतुओं के बचाव तथा पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदायों द्वारा सक्रिय भागीदारी।
- नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दीर्घकालिक उपयोग।
- सम्मिलित पंचायत के निवासियों के लिए स्थान-विशेष दीर्घकालिक आजीविका नीतियों की पहचान और विकास का प्रयास।

सभी पक्ष इस समझौता ज्ञापन का सम्मान करने के लिए सहमति प्रदान करते हैं।

समझौते के लिए पक्षधारियों के हस्ताक्षर

भारतीय वन्यजीव संस्थान
की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम: **Dr. Ruchi Badola**
Nodal Officer
पद: Wildlife Institute of India
National Mission for Clean Ganga
दिनांक: Dehradun, Uttarakhand

पंचायत की ओर से

हस्ताक्षर:

नाम:

पद:

दिनांक:



अनुलग्नक - 2

सामाजिक मानचित्र ग्राम पंचायत पठनपुरवा



अनुलग्नक - 3

सूक्ष्म नियोजन हेतु बैठक में उपस्थित समुदाय की सूची

क्र.सं.	नाम	पिता/पति	मोबा.नं.
01	संगीता		789726768
02	विद्या	Piya	
03	नमकी		
04	अंजली	अंजली	
05	रमणीका	रमणीका	789726368
06	प्रज्ञा नमिका	प्रज्ञा	872634409
07	नमिका	नमिका	9994522588
08	अंजली	अंजली	9621864992
09	अंजली	अंजली	9651218589
10	अंजली	अंजली	950692341
11	कुलभ	कुलभ	
12	निमला	निमला	
13	अंजली	अंजली	887451325
14	अंजली	अंजली	
15	अंजली	अंजली	
16	अंजली	अंजली	
17	अंजली	अंजली	7408471995
02	अंजली	अंजली	880351274
18	अंजली	अंजली	7880851274
19	अंजली	अंजली	
20	अंजली	अंजली	9651468469
21	अंजली	अंजली	
22	अंजली	अंजली	
23	अंजली	अंजली	6386729440
24	अंजली	अंजली	887463886
25	अंजली	अंजली	
26	अंजली	अंजली	
27	अंजली	अंजली	
28	अंजली	अंजली	7880351274
29	अंजली	अंजली	9219132020
30	अंजली	अंजली	

फोटो गैलरी



NMCG

National Mission for Clean Ganga

Ministry of Jal Shakti

GACMC

Ganga Aqualife Conservation Monitoring Centre

Wildlife Institute of India

Chandrabani Dehradun - 248001

Uttarakhand, India

